

प्र.सं. 130/2018

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

बतुलबेजा १९ दायी

3/9/21 वादीगण के अधिवक्ता ने उक्त प्रकार
की प्रभावली रख लिखे जाते हुए जापान
पेश किया जिसपर फिलहाल आज निर्णय
3/9/21 को सिंगे है रख की गई।
वादीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त
प्रकार को Not press लिखे जाते हैं
कि वादपत्र में दर्ज धारा 88, 53,
188 RTA का खारिज किया-गला है, सि
प्रकार संख्या 123/2018 जापान
में दर्ज धारा 212 RTA में धारित
रखान को भेजा-गला है, तथा मुलाकात के लिये संलग्न है
प्रभावली फिलहाल मुलाकात लिखा
है नम्बर के कमली 123

Not press

बतुलबेजा

सायदाबाद

Sudhakar
Adv. 01/01/2018

सहायक कलेक्टर
(तपस्यु अधिकारी)
आगापुर जिला भीलगाडा जिला